राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोनः– 2708739 E-mail: rajssa.training@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/प्रशिक्षण/ /2018-19/ 9768 दिनांक : 24/12/18

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

प्राचार्य,
डाइट,
समस्त जिले

विषय – शीतकालीन अवकाश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत एवं राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में परिषद से जारी दिशा निर्देशानुसार शीतकालीन अवकाशों में राज्य एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक एवं संस्था प्रधानों के प्रशिक्षण दिनांक 25 दिसम्बर, 2018 से चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जा रहे है। कतिपय जिला अधिकारियों द्वारा चाहे जा रहे मार्गदर्शन के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि –

(1) संस्था प्रधानों के लीडरशिप प्रशिक्षण (उत्कृष्ट एवं चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालय) –

- प्रशिक्षण अनवार्य रूप से जिला स्तर पर ही आयोजित किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में ब्लॉक पर आयोजित नहीं किए जा सकेगे। यदि परिषद की पूर्व अनुमति के ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाते है तो प्रशिक्षण राशि में नियमानुसार कटौती करते हुए विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
- लीडरशिप प्रशिक्षण में किसी भी स्थिति में व्यवस्थार्थ कार्यरत संस्था प्रधान को प्रशिक्षण में सम्मलित नहीं किया जाए।
- परिषद कार्यालय से उपलब्ध करवाई गई अधिकतम नामांकन के आधार पर चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों में से यदि किसी संस्था प्रधान द्वारा पूर्व में लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो ऐसे संस्था प्रधानों को लीडरशिप प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाए। ऐसी स्थिति में अधिकतम नामांकन के आधार पर अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान को जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।
- कक्षा 1 से 5 के उत्कृष्ट विद्यालय से कार्यरत स्टॉफ में सबसे वरिष्ठ कार्मिक शिक्षक/प्रबोधक को आमंत्रित किया जाए।
- संभागियों को आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंवे कि किसी भी स्थिति में पूर्व में लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त संस्था प्रधान को प्रशिक्षण में पुनः आमंत्रित नहीं किया जावें।

(2) कक्षा 6 से 8 के अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषय आधारित शिक्षक प्रशिक्षण –

- प्रशिक्षण अनवार्य रूप से ब्लॉक स्तर पर ही आयोजित किए जाएंगे। यदि किसी ब्लॉक में बैच नहीं बनने की स्थिति में सम्बन्धित ब्लॉक के समस्त संभागियों को निकटम ब्लॉक में प्रशिक्षण प्राप्त करने के आदेश जिला कार्यालय से प्रेषित किए जाएंगे।
- प्रशिक्षण में केआरपी को नियुक्त करने का दायित्व जिले की डाइट द्वारा किया जाएगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत L-2 शिक्षक (विज्ञान–गणित) का अध्यापन कार्य कर रहे है, के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक के स्नातक के विषयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को विज्ञान अथवा गणित में से किसी एक विषय के प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया जाए।

www.rajteachers.com

(3) द्वितीय श्रेणी अध्यापकों का प्रशिक्षण –

- द्वितीय श्रेणी शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षक के प्रशिक्षण में एक वर्ष का अन्तराल होना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में जिन्होंने सत्र 2017–18 में शीतकालीन अवकाश में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा साथ ही ऐसे शिक्षक जिन्होंने 2018 के ग्रीष्मकाल में आयोजित द्वितीय श्रेणी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, को शीतकालीन प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाए।

विशेष – (1) लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र मतदाता सूचियां पुनरीक्षण का कार्य भी प्रशिक्षण तिथियों के साथ प्रारंभ हो रहा है। पुनरीक्षण कार्य में नियुक्त किए गए शिक्षकों (BLO) को प्रशिक्षण से मुक्त करें। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षकों (BLO) की सूची मय BLO नियुक्ति आदेश परिषद को प्रेषित करें।

(2) प्रशिक्षण आयोजन की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु की गई व्यवस्थाओं यथा साफ–सफाई, भोजन, रात्रि विश्राम, प्रशिक्षण स्थल, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था इत्यादि की सुचारू एवं परिषद दिशा निर्देशानुसार मापदण्डानुसार आप व्यक्तिशः सुनिश्चित करें। इस बाबत आपके अधिनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों की जिला/ब्लॉक स्तरीय दल का गठन कर नियमित रूप से बैठक आयोजित करते हुए सम्पूर्ण प्रशिक्षणों की मॉनीटरिंग करें।

(डॉ0 प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त–प्रशिक्षण

www.rajteachers.com

क्रमांकः राप्राशिप/जय/प्रशिक्षण/2018–19/ 9769   दिनांकः 24/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त संभाग।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (प्रशिक्षण)